संख्या:2592/38-7-2008-35| एनआरईजीए/2008

प्रेषक:

रोहित नन्दन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/
मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

दिनांकः 31 अक्टूबर, 2008

विषय- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना- उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत " जीवन ज्योति परियोजना" (डीजल जेट्रोफा एवं करंज पौधों का वृक्षारोपण) के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं दिशा निर्देश के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में स्थायी स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के उद्देश्य से " जीवन ज्योति परियोजना" (डीजल जेट्रोफा एवं करंज पौधों का वृक्षारोपण) कियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका वित्त पोषण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना से किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि योजना की रूपरेखा एवं कियान्वयन के विभिन्न स्तरों के दिशा निर्देश निम्नवत् होंगे:-

1. **योजना का नाम :**

इस योजना को "जीवन ज्योति" परियोजना के नाम से कियान्वित किया जायेगा।

2. **योजना का स्वरूप और उद्देश्य :**

प्रदेश में स्थायी स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या- 578/35-1-2008/नियोजन अनुभाग-1 दिनांक 25 मार्च, 2008 द्वारा उ0प्र0 सरकार ने पब्लिक सेक्टर की पेट्रोलियम कम्पनी/कम्पनियों के साथ मिलकर उ0प्र0 बायो डीजल वैल्यू चेन विषयक परियोजना का संचालन करने

का निर्णय लिया है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के ऊसर, परती, बंजर एवं कृषि हेतु पूर्णतया अनुपयोगी भूमि पर बायोडीजल, जेट्रोफा एवं करंज रोपण का प्रोत्साहन किया जाना है।

3. **नरेगा के प्राविधानों से आच्छादन :**
यह कार्य भारत सरकार के राज–पत्र संख्या 2311 दिनांक 08 मार्च, 2007 की अनुसूची–1 के पैरा–I में उपपैरा–IV के अन्तर्गत किया जा सकता है। राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना की मार्गनिर्देशिका (यथा संशोधित वर्ष 2000) के प्रस्तर–6.1. 1(4) के अनुरूप वर्णित श्रेणी के पात्र व्यक्तियों की निजी भूमि/क्षेत्र का भी चयन इस कार्य हेतु किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त सामुदायिक भूमि एवं वन क्षेत्र में भी यह कार्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा सकता है।

4. **योजना के अनुमन्यता :**
2– राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना–उत्तर प्रदेश के अनतर्गत निम्न प्रकार की भूमि पर इस योजना को कियान्वित करने की अनुमन्यता है।

- ग्राम पंचायत की ऊसर, परती एवं बंजर भूमि एवं कृषि हेतु पूर्णतया अनुपयोगी भूमि। इस प्रकार की भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं अथवा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कार्य किया जा सकता है।

5. **लाभार्थी के चयन की प्रकिया :**
ग्राम पंचायत इस योजना के अंतर्गत अपनी स्वयं की भूमि पर चयनित प्रजाति के पौधों के रोपण हेतु इच्छुक लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त करेगी तथा सामुदायिक भूमि एवं वन क्षेत्र में इस योजना के अंतर्गत कार्य करने की दशा में स्वयं सहायता समूहों से आवेदन प्राप्त किया जायेगा। पात्र लाभार्थियों के चयन तथा पौध रोपण हेतु इन लाभार्थियों द्वारा धारित भूमि के निर्धारण/क्षेत्र चयन के संबंध में विभाग द्वारा जारी आदेश उद्यानीकरण से संबंधित प्रावधान यथावत लागू होंगे। आवेदन पत्र कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं लाईन विभाग को भी दिया जा सकता है।

6. **कार्य योजना/प्रोजेक्ट बनाने व स्वीकृती की प्रकिया :**
"जीवन ज्योति" योजना के कियान्वयन के लिए प्रदेश के 30 जनपद चिन्हित किये गये हैं। इन जनपदों में अन्य जनपदों की तुलना में जेट्रोफा प्लान्टेशन के लिए

अधिक मात्रा में आकृशक भूमि उपलबध है। योजना का कियान्वयन जिन 30 जनपदों में प्रारम्भ किया जाना है उनका विवरण तथा जनपदवार संलग्नक–1 पर है।

जेट्रोफा वृक्षारोपण :

वृक्षारोपण का उचित समय 15 जुलाई से 15 अक्टूबर तक का है। वृक्षारोपण हेतु बायोइनर्जी मिशन, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा मान्य नर्सरियों में रू0 2.50 प्रति पौध की दर से पौध क्रय कर प्रति एकड़ 1000 पौध अथवा प्रति हेक्टेयर 2500 पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा। इसके अन्तर्गत लाईन से लाईन की पूरी 8 फीट एवं पौध से पौध की दूरी 5 फीट रखनी होगी। पौध लगाने हेतु गड्ढे की खुदाई 9''x 9''x 9'' के मान रूप में करने के उपरान्त आवष्यक इनपुट के रूप में कम्पोस्ट, माइकोराइमा तथा अन्य आर्गेनिक इनपुट मान्य मात्रा में गड्ढें में डालने के उपरान्त पौध का रोपण किया जायेगा। प्रति पौध 750 ग्राम से 1.250 कि0ग्रा0 तक सड़ी हुई गोबर की खाद तथा अन्य आवश्यक इनपुट जैसे माइकोराइजा इत्यादि 120 पीपीएम तक गड्ढे में डालने के उपरान्त जेट्रोफा का कम से कम ढाई फीट ऊँचा पौधा (कम से कम 6 माह पुराना) रोपित किया जायेगा। उक्त वर्णित अवधि के दौरान वृक्षारोपण करते समय मात्र शुरू में सिंचाई की जरूरत होगी।

अच्छी फसल हेतु जेट्रोफा को मात्र प्रोटेक्टिव इरीगेशन की आवश्यकता होगी। वृक्षारोपण के उपरान्त आगामी फरवरी–मार्च में पौधे की आवश्यक छंटाई करनी होगी। छंटाई करते समय जमीन से 2.5 फीट–3 फीट की ऊंचाई से छंटाई करना सबसे उपयुक्त होगा। छंटाई की यह प्रकिया द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष भी फरवरी–मार्च में करनी होगी। ऐसा करने से प्रत्येक पौध पर 70–110 शाखाएं विकसित हो जायेगी जिनसे तृतीय वर्ष तथा आगे प्रति पौध औसतन 2.50 से 3.00 किग्रा0 जेट्रोफा बीज प्राप्त होगा। छंटाई के दौरान प्राप्त मजबूत टहनियों का प्रयोग भविष्य में रोपण सामग्री के रूप में किसान प्रयोग में ला सकता है। इसके लिए उसे चयनित टहनी को नमी वाले स्थान पर कलम के रूप में रोपित करना होगा।

उपरोक्तानुसार प्राप्त जेट्रोफा फल को धूप में सूखा कर देशी विधि (जैसे डण्डे से पीट कर) अथवा मैकेनिकल उपकरण से फल से बीज को अलग किया जा सकता है। उपरोक्तानुसार प्राप्त बीज कम्पनी के कय केन्द्र तक बिकी हेतु किसान/पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। जेट्रोफा की प्रति हैक्टेयर एकड़ लागत इकाई लागत का मानक संलग्नक–3 पर है। जेट्रोफा प्लाण्टेशन एक श्रमसाध्य कार्य है और यह अनुमानित है कि प्रति एकड़ 58 श्रम दिवस सृजित होंगे। ग्राम सभा/पंचायत की भूमि पर किये जाने वाले पौधरोपण के कम में ग्राम पंचायत व बीपीसीएल/पब्लिक सेक्टर की तेल कम्पनियों की सहयोगी कम्पनी के मध्य संलग्न प्रारूप पर अनुबन्ध किया जायेगा। मानक अनुबन्ध संलग्नक–2 पर है।

जेट्रोफा की फसल तैयार होने पर कम्पनी सीधे पंचायत से कय कर सकेगी। जेट्रोफा बीज के मूल्य का निर्धारण कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। आय का वितरण ग्राम पंचायत, कम्पनी के मध्य 50:50 के अनुपात में किया जायेगा। प्लाण्टेशन से प्राप्त होने वाले कार्बन केडिट का लाभ पंचायत तथा कम्पनी द्वारा समानुपातिक रूप में प्राप्त होगा। जीवन ज्योति योजना को लागू किये जाने हेतु नियोजन विभाग के अन्तर्गत सीपित "बायो इनर्जी मिशम" को नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। इनके द्वारा इस संबंध में विस्तृत तकनीकी, मार्ग निर्देश, प्रशिक्षण, समस्त बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज की व्यवस्था की जायेगी।

7. **फण्ड फ्लो का विवरण :**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी कार्यकारी निर्देश–2008 के पैरा 8.3.2 के प्राविधानों के अनुसार धनराशि का स्थानांतरण जिला कार्यकम समन्वयक द्वारा ग्राम पंचायतों को किया जायेगा। ग्राम पंचायतें स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष लाभार्थी के खेतों पर कार्य कराएगी। लाभार्थी परिवार के सदस्यों द्वारा स्वयं भी मजदूरी की जा सकती है। योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले सभी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान बैंक अथवा पोस्ट आफिस में खुले खाते के माध्यम से किया जायेगा।

8. सामग्री की व्यवस्था :

इसके अन्तर्गत श्रेष्ठ एवं उत्तम गुणवत्ता की पौध/रोपण सामग्री, आवश्यक इनपुट तथा अन्य तकनीकी ज्ञान सम्बन्धित लाभार्थी, समूह तथा पंयायत को उपलब्ध कराना नोडल एजेन्सी का दायित्व होगा।

9. तकनीकी पर्यवेक्षण :

इस परियोजना के अंतर्गत तकनीकी पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी कृषि विभाग/उद्यान विभाग/वन विभाग/बायो इनर्जी मिशन (नियोजन विभाग) की होगी।

10. रिपोर्टिंग व अनुश्रवण की व्यवस्था :

कार्यक्रम से जुड़ी पब्लिक सेक्टर की कम्पनियों के प्रतिनिधि द्वारा बायो इनर्जी मिशन के नेतृत्व में योजना की समय–बद्ध मानिटरिंग की जायेगी। इसके अलावा सम्बन्धित मानिटरिंग रिपोर्ट जनपदवार कम्पनी के प्रतिनिधि द्वारा राज्य स्तर पर बायो इनर्जी मिशन को प्रत्येक फसल के अन्त में समय–बद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जायेगी।

उक्त के अतिरिक्त परियोजना के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु मुख्य विकास अधिकारी जनपद स्तर पर उत्तरदायी होंगे। मुख्य विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक (नरेगा) द्वारा कम से कम परियोजना के 3 प्रतिशत कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जायगा। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने विकासखण्ड के कार्यों की शत–प्रतिशत अनुश्रवण किया जायगा। उपरोक्तानुसार विभिन्न स्तरों पर की गई मॉनिटरिंग के निष्कर्षों के अभिलेख संबंधित स्तर पर अनिवार्यतः रखे जायेंगे। परियोजना के कार्यों की प्रगति की जानकारी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आयुक्त ग्राम्य विकास को प्रेषित की जायेगी।

11. लाभार्थी के दायित्व व अधिकार :

लाभार्थी क्रियान्वित किये जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण कर गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेगा। ऐसे लाभार्थी जो कार्य करने हेतु इच्छुक हैं, वे स्वयं के द्वारा धारित भूमि पर स्वयं भी कार्य कर सकेंगे। लगाए गए पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी लाभार्थी की होगी। पौधों के अनुरक्षण का कार्य

सम्बन्धित लाभार्थी/स्वंय सहायता समूहों द्वारा की जायेगी। इस हेतु तकनीकी मार्ग निर्देश बायो इनर्जी मिशन द्वारा समय-समय पर जारी किये जायेंगे।

12. ग्राम पंचायत के दायित्व :

ग्राम पंचायत अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप पात्र लाभार्थियों का चयन करेगी। चयनित लाभार्थियों द्वारा वांछित कार्य की कार्य योजना तैयार कराएगी। ग्राम पंचायत नोडल एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करेगी। तैयार कार्य योजना पर वांछित तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरान्त प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करेगी। ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में निजी तथा सार्वजनिक भूमि पर योजना का कियान्वयन भी कराएंगी।

13. क्षेत्र पंचायत के दायित्व :

ग्राम पंचायतों से प्राप्त कार्य योजना को अधिनियम के प्राविधानों के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करते हुए जिला पंचायतों अपने संस्तुति/मंतव्य सहित अग्रसारित करेगी।

14. संबंधित लाइन विभाग का दायित्व :

योजनांतर्गत नोडल एजेंसी/बायो इनर्जी मिशन (नियोजन विभाग) तकनीकी मार्गदर्शन हेतु लाइन विभाग होगा।

कृपया उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रोहित नन्दन)
प्रमुख सचिव

संख्या- 2592 (1)/38-7-2008 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) निजी सचिव, मा० मंत्री, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(9) प्रमुख सचिव, खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(10) प्रमुख सचिव, रेशम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(11) प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(12) प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(14) प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश शासन।
(15) प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(16) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(17) प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
(18) प्रमुख अभियंता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश।
(19) प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश।
(20) निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश।
(21) निदेशक, खाद्य एवं प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश।
(22) निदेशक, मत्स्य, उत्तर प्रदेश।
(23) निदेशक, भूमि विकास एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश।
(24) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(25) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर० पी० सिंह)
अनुसचिव।

संलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान जेट्रोफा वृक्षारोपण हेतु जनपदवार प्रस्तावित रकबा :

क्र0सं0	नाम	प्रस्तावित रकबा (एकड़)
1	अलीगढ़	3000
2	हाथरस	3000
3	मथुरा	5000
4	आगरा	5000
5	फिरोजाबाद	1000
6	एटा	3000
7	मैनपुरी	3000
8	खीरी	1000
9	सीतापुर	1000
10	हरदोई	1000
11	रायबरेली	1000
12	इटावा	1000
13	औरैया	1000
14	कानपुर देहात	1000
15	कानपुर नगर	500
16	जालौन	5000
17	झांसी	5000
18	ललितपुर	5000
19	हमीरपुर	7000
20	महोबा	5000
21	बांदा	10000
22	चित्रकूट	20000
23	फतेहपुर	500
24	प्रतापगढ़	1000
25	सुल्तानपुर	1000
26	बलिया	500
27	गाजीपुर	500
28	चंदौली	1000
29	मिर्जापुर	3000
30	सोनभद्र	5000
	योग	1,00,000

संलग्नक–2

अनुबन्ध

यह अनुबन्ध वर्ष 2008 के माह.....की तिथि..... को मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित ज्वाइंट वेंचर कम्पनी "....." जो कम्पनी अधिनियम,1956 के तहत पंजीकृत एक कम्पनी है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय.....है(जिसको एतद्परचात ' प्रथम पक्ष ' कहा गया है) द्वारा श्री.....उक्त कम्पनी, प्रथम पक्ष और ग्राम पंचायत ....विकास खण्ड.....जनपद..... जो संयुक्त प्रान्त पंचायत राज्य अधिनियत 1947 के अन्तर्गत एक निगमित निकाय है (जिसको एतद्पश्चात ' द्वितीय पक्ष कहा गया है द्वारा श्री.....उक्त ग्राम पंचायत द्वितीय पक्ष के मध्य निष्पादित किया गया है।

यह कि उत्तर प्रदेश बायो डीजल वैल्यू चेन के अन्तर्गत बायो फ्यूल विकास कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने में पंचायतों की सहभागिता से पी–4 (पब्लिक–प्राइवेट, पंचायत–पार्टनरशिप) सिद्धान्त पर आधारित ग्रामीण व्यापार केन्द्र की सोच के अनुरूप स्थायी आर्थिक विकास प्राप्त करने तथा अन्तराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने की क्षमता विकसित कर बेहतर उत्पादकता और गुणवत्ता के लिए उन्नत कृषि उपायों को कार्यान्वित कर पंचायतों को उनके उत्पादों का उचित एवं बढी हुई दर से लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एवं परती, अकृष्य भूमि का सदुप्रयोग/उत्पादकता बढ़ाने तथा ऊर्जा के स्त्रोतों का राष्ट्रीय हित में दोहन करने हेतु उभय पक्ष निम्नलिखित शर्तों एवं प्रसंविदाओं के अधीन सहमत हुए हैं।

अतः यह अनुबन्ध अब निम्न साक्षी है:–

1. राज्य में प्रस्तावित " उ0प्र0 बायो डीजल वैल्यू चेन " की स्थापना , उसके विकास तथा उसके स्थायित्व हेतु बायो फ्यूल फसल पौध रोपण एवं उससे उत्पन्न बीज के विपणन इत्यादि के लिए आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना।
2. कार्यक्रम के संचालन हेतु आवश्यक तकनीकी संज्ञान, उच्च गुणवत्ता की रोपण सामग्री, आवश्यक इनपुट्स जैसे खाद एवं माइक्रोन्यूट्रियेन्ट (उदाहरणार्थ माइक्रोराइजा, ट्राइकोडर्मा) इत्यादि की आपूर्ति एवं विस्तार सहायता उपलब्ध कराना।
3. बीज क्रय केन्द्रों की स्थापना करना।
4. शासन द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर बायोडीजल बीजों का क्रय करना एवं उसका तत्काल भुगतान सुनिश्चित करना।
5. कार्बन क्रेडिट से प्राप्त होने वाले लाभ को समानुपातिक तरीके से पंचायत को हस्तान्तरित करना।

(II) द्वितीय पक्ष का दायित्वः–

द्वितीय पक्ष का दायित्व निम्न होगाः–

1. भूमि प्रबन्ध समिति की बैठक कर बायोफ्यूल फसलों के उत्पादन हेतु प्रस्ताव पारित कर ग्राम सभा की भूमि मय खसरा नं0–.....रकबा..... .....एवं स्थिति जो परती एवं अकृष्य हो, को चिन्हित करना तथा बायोफ्यूल फसल रोपण हेतु आरक्षित करना।
2. बायोफ्यूल फसल से प्राप्त बीज को क्रय केन्द्र तक पहुंचाने की व्यवस्था अपने व्यय पर करना।
3. उत्पाद विक्रय से प्राप्त लाभांश को ग्राम निधि में जमा करना तथा उसका लेखा प्रबन्धन सुचारू रूप से करना।
4. यदि बाजार मांग के अनुसार किसी अन्य फसल की अन्तः कृषि की जाती है तो इस हेतु भी भूमि प्रबन्ध समिति की सहमति प्राप्त करना। अन्तः कृषि उत्पादों की बिक्री से प्राप्त लाभांश भी ग्राम निधि में जमा करना तथा उसका लेखा प्रबन्धन सुचारू रूप से करना।
5. कार्बन क्रेडिट से प्राप्त होने वाले राजस्व को ग्राम निधि में जमा करना तथा उसका लेखा प्रबन्धन सुचारू रूप से करना।

(III) उभय पक्ष का दायित्वः–

दोनो पक्ष निम्नानुसार सहमत हैंः–

1. अनुबन्ध की अवधिः–

अनुबन्ध की अवधि 15 वर्ष होगी दोनो पक्षों की सहमति से इस अनुबन्ध में उल्लिखित शर्तों के अधीन 15–15 वर्ष हेतु दो बार बढ़ाया जा सकता है लेकिन कुल अवधि 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. उत्पाद का मूल्य निर्धारणः–

बायोफ्यूल फसलों से उत्पादित बीज का मूल्य निर्धारण उस वर्ष घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किया जायेगा। बीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य उस वर्ष भारत सरकार द्वारा घोषित बायोडीजल मूल्य के आधार पर किया जायेगा। यह मूल्य किसी भी हालत में बायोडीजल के घोषित मूल्य के सापेक्ष्य 20 प्रतिशत से कम नहीं होगा। वर्तमान में यह मूल्य रू0 6.00 प्रति किलोग्राम है। इसमें कार्बन क्रेडिट से प्राप्त होने वाले लाभांश को भी

समानुपातिक तरीके से सम्मिलित किया गया है। " बीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य" का निर्धारण कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।

3. फालोअप एवं मॉनिटरिंगः–

कार्यकम को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा भूमि प्रबन्ध समिति की बैठक वर्ष मे कम से कम दो बार आयोजित की जायेगी। इस बैठक में भूमि प्रबन्ध समिति के नियमित सदस्यों के अलावा प्रथम पक्ष को भी सम्मिलित किया जायेगा। आवश्यकतानुसार यह बैठक कार्यकम की उपयोगिता एवं महत्व को देखते हुए कभी भी बुलाई जा सकती है।

4. सुलह व्यवस्था (आर्बिट्रेशन):–

दोनो पक्षों में किसी भी विवाद की स्थिति पैदा होने पर निस्तारण आर्बिट्रेशन एवं कन्सिलिएशन अधिनियम, 1996 द्वारा अनुमन्य प्रकिया के अन्तर्गत ही किया जायेगा। वर्तमान प्रकरण में इस व्यवस्था हेतु संबधित जनपद के जिलाधिकारी की अध्क्षयता मे सुलह व्यवस्था की प्रकिया प्रस्तावित की गयी है।

उपरोक्त के साक्ष्य में दोनो पक्षों ने ऊपर अंकित तिथि को निम्नलिखित गवाहों के समक्ष यह अनुबन्ध निष्पादित कर दिया गया है।

प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
(चीफ मैनेजिंग डाइरेक्टर/ मैनेजिंग डाइरेक्टर)	(ग्राम पंचायत/पंचायतों के प्रधान)
कम्पनी की ओर से गवाह–	गवाह–
1–हस्ताक्षर नाम– स्थायी पता (स्थायी पता के सम्बंध में प्रमाण प्रति)	1– हस्ताक्षर (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी) नाम–
2–हस्ताक्षर नाम– स्थायी पता (स्थायी पता के सम्बंध में प्रमाण प्रति)	(अध्यक्ष/ग्राम विकास अधिकारी) नाम–

रोजगार सृजन एवं जेट्रोफा रोपण की लागत विवरण:

संलग्नक –1

(रू0 प्रति हेक्टेयर में)

सं0	विवरण	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
1	रोपण हेतु भूमि की तैयारी (सफाई एवं समतलीकरण–10 कार्य दिवस)	1000	–	–
2	एलाइनमेंट एण्ड स्टेकिंग 5 कार्य दिवस	500	–	–
3	गड्ढ़ो की खुदाई (संख्या–2500) 30 सेमी^{3} आकार के,50 गड्ढ़े प्रति कार्यदिवस–50 कार्यदिवस,	5000	–	–
4	कम्पोस्ट की लागत (भाड़ा सहित) प्रथम वर्ष 2 किलो प्रति गड्ढ़ा (2 मी0टन) दूसरे वर्ष तथा आगे 1 किलो प्रति गड्ढा रू0 500 प्रति मी0टन की दर से	2500	1250	1250
5	6रू0 प्रति किग्रा की दर से उर्वरक की लागत (प्रथम वर्ष में 50 ग्रा0 प्रति पौधे व दूसरे वर्ष मे 25 ग्रा0 प्रति पौधे की दर से) प्रत्येक अप्लीकेशन पर दो कार्य दिवस	950	575	575
6	कम्पोस्ट एवं कीटरोधी उर्वरक का मिश्रण 10 गड्ढे प्रति दिवस क दर से गड्ढों का पुर्नभरण–25 कार्य दिवस	2500	2500	2500
7	प्रथम वर्ष में 2500 पौधो की लागत (भाड़ा सहित) एवं द्वितीय वर्ष में 500 पौधों का पुर्नरोपण, रू0 2.5 प्रति पौधें की दर से	6250	1250	–
8	100 पौधे प्रति कार्य दिवस के हिसाब से पौध रोपण एवं पुर्नरोपण प्रथम वर्ष मे 25 कार्य दिवस एवं द्वितीय वर्ष में 5 कार्य दिवस की दर से	2500	500	–
9	सिंचाई रू0 600 प्रति सिंचाई की दर से प्रथम वर्ष में 3 सिंचाई एवं द्वितीय वर्ष में एक सिंचाई की लागत	1800	600	–
10	निराई गुड़ाई एवं खरपतवार निवारण, प्रथम वर्ष में 10 कार्य दिवस–एक बार, एवं द्वितीय वर्ष से 10 कार्य दिवस 3 बार की लागत	1000	3000	–

11	पौधे की सुरक्षा पर खर्च	300	–	–
	योग	24300	9675	4325
	आकस्मिक व्यय (उपरोक्त का लगभग 5 प्रतिशत)	1215	483.75	216.25
	कुल योग	25515	10158.75	4541.25
	प्रति एकड़ लागत (कुल योग/2.5)	10206	4063.5	1816.5

प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष का योग 14260
प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष का योग 16110

नोट– क्षारीय मृदा में अतिरिक्त व्यय लगाग – 4000 प्रति एकड़ प्रथम वर्ष
पठारी भूमि के लिये अतिरिक्त व्यय लगभग – 3950 प्रति एकड़ प्रथम वर्ष